www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 04.01.2017

सीबीआई ने मामले की जारी जॉंच में बैंक ऑफ इण्डिया के सहायक महाप्रबन्धक एवं तीन अन्यों को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने जारी जॉंच के सन्दर्भ में बैंक ऑफ इण्डिया, घोड्डोडा रोड शाखा, सूरत (गुजरात) के सहायक महाप्रबन्धक ; तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक ; सूरत की प्राइवेट फर्म के मालिक तथा अन्य प्राइवेट फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया।

बैंक ऑफ इण्डिया, घोड्डोडा रोड शाखा, सूरत (गुजरात) में कार्यरत सहायक महाप्रबन्धक (शाखा प्रबन्धक) एवं तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक ; सूरत की प्राइवेट फर्म के एक मालिक व अन्यों तथा अन्य अज्ञातों के विरूद्ध दिनांक 29.12.2016 को मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि आरोपी आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुए एवं प्राइवेट फर्म का बैंक खाता खोलने में जालसाजी की तथा सूरत की प्राइवेट फर्म के मालिक के द्वारा दिनांक 08.11.2016 के बाद उक्त खाते में 24.35 करोड. रू. (लगभग) नकद जमा किया और उक्त नकद राशि को आर.टी.जी.एस. स्थानान्तरण के द्वारा सह-आरोपी के खातों में भेज दिया गया।

दिनांक 02.01.2017 को सूरत एवं जयपुर सहित 9 स्थानों पर तलाशी की गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपियों को अहमदाबाद की नामित अदालत के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

****